न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर।

अपील संख्याः 272/2019 (जीसीएमएस 2019/00208)

1. चिड़ावा जनहित सेवा ट्रस्ट, रजिस्टर्ड कार्यालय 62–ए, हाजरा रोड़, कोलकाता जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री राजेश धर दूबे पुत्र स्व. श्री वाई.एन. दूबे, निवासी डी–5/43, संगम विहार, नई दिल्ली।

-----अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू।

----रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी एक जनहित सेवा के उद्देश्य से निर्मित किया गया ट्रस्ट जिसका पंजीकृत कार्यालय कोलकाता में स्थित है तथा श्री राजेश धर दूबे चिडावा जनहित सेवा ट्रस्ट के द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि है एवं चिड़ावा जनहित सेवा ट्रस्ट द्वारा श्री राजेश धर दूबे को ट्रस्ट की ओर से भूमि खसरा संख्या 492 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल रकबा 03.12 हेक्टेयर स्थित ग्राम देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू के संबंध में नामान्तरण खुलवाये जाने हेतु आवश्यक समस्त विधिक कार्यवाहियों हेतु अधिकृत किया गया है। उन्होने आगे कथन किया है कि ग्राम देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू में स्थित कृषि खसरा संख्या 492 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल रकबा 03.12 हैक्टेयर को श्री नन्दलाल पंसारी पुत्र श्री देवकीनन्दन पंसारी, आयु 74 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 14, शेक्सपियर सरनी, कोलकाता ने भूमि के पूर्व खातेदार श्रीमती अनिता पत्नी स्व. श्री ओमप्रकाश, दीपक पुत्र स्व. श्री ओमप्रकाश, राजेन्द्र पुत्र गोपीचन्द, रामफल पुत्र गोपीचन्द, सन्त कुमार पुत्र गोपीचन्द, समस्त जाति जाट, निवासी देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू से 2012 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 201 में पृष्ठ संख्या 35 क्रम संख्या 2012006466 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 518 के पृष्ठ संख्या 176 से 193 पर चस्पा किया गया था, इस प्रकार श्री नन्दलाल पंसारी उक्त भमि के रजिस्टर्ड क्रयशुदा काश्तकार थे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि श्री देवकीनन्दन पसारी ने अपने जीवनकाल में दिनाँक 10.10.2017 को उपरोक्त कृषि भूमि एवं अपनी अन्य जायदाद

P.T.O.

संभागीय आयुक्त जयपुर

की व्यवस्था हेतु अन्तिम वसीयत निष्पादित की थी, उक्त वसीयत दिनॉक 10.10.2017 के द्वारा श्री देवकीनन्दन पंसारी ने उपरोक्त कृषि भूमि स्थित राजस्व ग्राम देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू में खसरा संख्या 492 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल रकबा 03.12 हैक्टेयर अपीलार्थी ट्रस्ट के नाम की थी तथा श्री देवकीनन्दन पंसारी ने अपनी उपरोक्त वसीयत दिनॉक 10.10.2017 में श्री भागीरथ पंसारी एवं श्री राजीव पंसारी को निष्पादक नियुक्त किया कर सक्षम न्यायालय से प्रोबेट जारी करवाने हेतु अधिकृत किया था तत्पश्चात दिनॉक 22.10.2017 को श्री देवकीनन्दन पंसारी का देहान्त हो गया एवं श्री देवकीनन्दन पंसारी की वसीयत के आधार पर निष्पादक श्री भागीरथ पंसारी एवं श्री राजीव पंसारी ने वसीयत दिनॉक 10.10.2017 के प्रोबेट हेतु माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय में आवेदन किया तथा माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने उनके आवेदन पर दिनॉक 04.07.2018 को वसीयत दिनॉक 10.10.2017 की प्रोबेट जारी कर दी।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि श्री देवकीनन्दन पंसारी का देहान्त होने के पश्चात् वसीयत दिनॉक 10.10.2017 एवं माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट दिनॉक 05.07.2018 के आधार पर अपीलार्थी ट्रस्ट विधिक रूप से उपरोक्त भूमि का काश्तकार बन गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपने हक में तस्दीक करवाये जाने का भी अधिकरी बन गया तत्पश्चात् अपीलार्थी ट्रस्ट ने दिनॉक 28.08.2018 को तहसीलदार, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू के समक्ष वसीयत के आधार पर विरासत का नामान्तरकरण अपीलार्थी ट्रस्ट के हक में तस्दीक किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया किन्तु तहसीलदार, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू ने बिना अपीलार्थी ट्रस्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र पटवारी हल्का की अनावश्यक एवं अनुचित जॉच के आधार पर दिनॉक 07.01.2019 को अपीलार्थी ट्रस्ट का आवेदन निरस्त कर दिया जो आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ट्रस्ट को उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपीलार्थी ट्रस्ट की ओर से तहसीलदार, सूरजगढ़, के समक्ष एक पुनर्विचार प्रार्थना पत्र पेश किया, परन्तु पुनः अपीलार्थी ट्रस्ट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये तहसीलदार ने अपीलार्थी ट्रस्ट का पुनर्विचार प्रार्थना पत्र मूल आदेश की अपील की स्वतन्त्रता प्रदान किये दिनॉक 03.05.2019 को खारिज कर दिया। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार के आदेश दिनॉक 03.05.2019 की जानकारी अपीलार्थी ट्रस्ट को दिनॉक 04.07.2019 को होने पर अपीलार्थी ट्रस्ट ने न्यायालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू के समक्ष मूल आदेश दिनॉक 07.01.2019 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की परन्तु अपीलार्थी ट्रस्ट की अपील जिला कलेक्टर, झुन्झुनू द्वारा स्वयं के क्षेत्राधिकार से परे होने तथा न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार मे होने के आधार पर दिनॉक 19.09.2019 को खारिज फरमा दी गई।

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक एवं उचित विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा ना ही अपीलार्थी ट्रस्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही प्रदान किया जो आदेश विधि के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण तहसीलदार सूरजगढ़ का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है तथा निरस्त किया जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश एक नॉन–स्पीकिंग तकनीकी आदेश के जरिये अपीलार्थी ट्रस्ट के हक में नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने का आवेदन खारिज कर अपीलार्थी ट्रस्ट के काश्तकारी अधिकारों के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि आक्षेपित आदेश पारित किये जाने का आधार तहसीलदार ने मात्र उत्तराधिकार प्रमाण पत्र तथा वसीयत की सत्यापित प्रति नहीं होना प्रकट किया है, जबकि प्रकरण में प्रश्नगत वसीयत के निष्पादन हेतु विधि अनुसार माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 04.07.2018 को प्रोबेट जारी किया जा चुका थाश, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम, 1925 के तहत सक्षम न्यायालय द्वारा जारी प्रोबेट के पश्चात् तहसीलदार द्वारा पुनः उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मांग करना तथा उत्तराधिकारियों के संबंध में पटवारी हल्का से जॉच करवाने के आदेश की आवश्यकता ही नहीं थी परन्तु तहसीलदार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र को दरकिनार कर पटवारी हल्का की रिपार्ट को आधार मानकर कानूनी चूक की हैं, ऐसे में आक्षेपित आदेश दिनाँक 07.01.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारापूर्व में न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जिसे कि प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त ही नही था, अपीलार्थी ट्रस्ट को कानूनी प्रक्रिया एवं प्रावधानों का पूर्ण ज्ञान नही होने के कारण पूर्व में गलत क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है जिसके कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपीलार्थी ट्रस्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू का निर्णय दिनाँक 07.01.2019 निरस्त किया जावें एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 2.85 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493 रकबा 0.27 हैक्टेयर, कुल रकबा 03.12 हैक्टेयर स्थित राजस्व ग्राम देवरोड़, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनू का नामान्तरकरण अपीलार्थी ट्रस्ट के नाम तस्दीक किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बार–बार अवसर देने के उपरान्त भी

वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है तथा अपीलान्ट द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में उन्होने अपने प्रार्थना पत्र में संतोषजनक कारण अंकित नही किये है ऐसे में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा की गई वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट का दौराने बहस कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त दस्तावेजात की प्रतिया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उक्त पत्रादि अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के संलग्न भी है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर